102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 725–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–1–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 624/अपील/2011–12.

छिदामीलाल आत्मज स्व. भैयालाल
निवासी व कृषक ग्राम बम्होरी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

नरेन्द्र सिंह आत्मज रतिराम लोधी
निवासी ग्राम कुण्डाली
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा तहसील बम्होरी के समक्ष ग्राम बम्होरी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 131/1/1/2/9/1 रकबा 0.20 एकड़ का बटान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–3/2005–06 दर्ज कर दिनांक 3–6–2008 को बटान स्वीकृत कर नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–7–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–1–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी

एवं नायब तहसीलदार के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 30–11–2017 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि अनावेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा बटान स्वीकृत करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, अथवा नहीं । अपर आयुक्त द्वारा मात्र आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं करने को आधार बनाकर अपील निरस्त किया गया है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को न तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है और न ही अनावेदक के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

(3) आवेदक द्वारा खसरा क्रमांक 131/1/2/2 एवं 230/1/1/2 कुल रकबा 6.67 एकड़ भूमि क्रय की गई है । यदि तहसील न्यायालय के आदेश के अनुसार 0.19 एकड़ भूमि अनावेदक के पक्ष में कर दी जाती है तो आवेदक की 6.67 एकड़ भूमि की भरपाई कहां से होगी । उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभय पक्ष की भूमि का सीमांकन किया जाकर ही बटान स्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) उभय पक्ष द्वारा जो भूमि क्रय की गई है, उनकी मेढ़ आपस में मेल नहीं खाती है, जिसका उल्लेख उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में है, इसके बावजूद भी अनावेदक की भूमि रकबा 0.20 एकड़ में से 0.19 एकड़ भूमि आवेदक के कब्जे में होना दर्शाया गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है ।

(5) विधि अनुसार सभी पक्षकारों को बराबर न्याय मिले, इसके लिए आवश्यक है कि प्रकरण में बहस श्रवण करने के पश्चात 15 दिवस के अन्दर आदेश पारित करें । यदि किसी कारण से समयावधि में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तो उसका उल्लेख आदेश पत्रिका में किया जाना चाहिए, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–7–2007

को अंतिम तर्क श्रवण किये जाने के बाद दिनांक 30–6–2008 को लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में आदेश पत्रिका में कोई स्पष्टीकरण नहीं होने से उनका आदेश संदिग्ध हो जाता है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(6) पटवारी द्वारा बटान दुरूस्त नहीं किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसके बाद भी नायब तहसीलदार द्वारा बटान दुरूस्त करने का आदेश पारित किया गया है, जिसकी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है, वह विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा खसरा कमांक 131 के पूरे सर्वे नम्बरों का रकबा बरारी कर बटान किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को प्रश्नाधीन भूमि के सभी बटे नम्बरों के भूमिस्वामियों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था । तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व बटान की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस ओर बिना ध्यान दिये तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनके भी आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर